Impact Factor (SJIF): 6.092 E-ISSN: 2583-1615

International Journal of Research in Academic World

Received: 13/May/2023 IJRAW: 2023; 2(6):180-182 Accepted: 20/June/2023

बहुसंस्कृतिवाद की प्रमुख तत्व एवं धाराए

[*1]डॉ. राजबहादुर कुशवाहा

[*1]राजनीति विज्ञान विभाग, अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट, कॉलेज, अतर्रा बांदा, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश:

विभिन्न सांस्कृतिक विविधता के लोगों को एक ही समाज में रहकर आपसी सद्भाव एवं सामाजिक संमजन का परिचय देना ही बहुसंस्कृतिवाद का मूल विचार है। चूंकि वैश्विक परिपेरक्ष्य में व्यापक अन्तः देशीय प्रवासन से विभिन्न प्रकार के वैचारिक आयाम उपस्थित हुये थे, जिनमें कुछ मुख्य मूल बिन्दु थे, कि किस प्रकार की परिस्थितियों में विभिन्न नस्ल भाषा या धार्मिक विचार के व्यक्तियों के समूह को एक ही समाज में बिना किसी साम्प्रदायिक विभेद या अशांति फैलाये, एक स्थान पर केसे समेकित, किया जाये। इसका उत्तर विद्वानों एवं विचारकों द्वारा बहुसंस्कृतिवाद के रूप में दिया गया। बहुसंस्कृतिवाद को उदारवादी धारा में समाज में विविधता को मान्यता दी जाती है। यह लोकतंत्र को एकमात्र वैध राजनीतिक व्यवस्था मानती है। वही इसकी बहुलवादी विचारधारा का मानना है कि मनुष्यों में शारीरिक मानसिक समानता के बावजूद अपना निजी सांस्कृतिक अभिवृत्तियों व्यवहारों को मान्यता देनी चाहिये। बहुसंस्कृतिवादी विचारधारा का तीसरा मुख्य आधार कास्मोपोलिटनवाद है, जिसमें यह माना जाता है कि एक संस्कृति दूसरे से सीख सकती है दूसरे को कुछ दे सकती है। अतः यह पिक एण्ड मिक्स में विश्वास करती है। वस्तुतः यह कहना ज्यादा समीचीन होगा कि बहुसंस्कृतिवाद सार्वजनिक जीवन का ऐसा तथ्य बनता जा रहा है, जिसे उलट पाना संभव नहीं लगता। अब यह हम पर है कि हम इसे वरदान मान कर इसका उपभोग करें या अभिशाप समझकर रोदन करें। असल में हमारी व आगामी पीढी के लिये मुख्य वैचारिक मुद्दा ऐसे तरीकों की तलाश होगी जिसमें भिन्न-भिन्न संस्कृतियों, मूल्यों व धार्मिक परम्पराओं वाले लोग बिना संघर्ष व हिंसा के साथ-साथ रह सके।

मुख्य शब्द: ववधिता, अल्पसंख्यक अधिकार, सांस्कृतिक अस्मिता, बहुसंस्कृतिवाद पाश्चात्य, समाज, उदारवादी आलोचना।

प्रस्तावना:

''उसके फरोहे हुस्न से झमके है सब में नूर,
शम्मे हरम हो या कि दिया सोमनाथ का''

(मीर तकी मीर)

(अच्छे समाज का विज्ञान (बहुसंस्कृतिवाद) डॉ. आबिद हुसैन 1994 सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान माला का एक अंश)

समकालीन विश्व विशेषकर 1990 के बाद व्यापक अंतःदेशीय प्रवासन (Migration) के बाद के विश्व परिदृश्य में ऐसी विचार व कार्यपद्धति की जरूरत पड़ी है जो, एक ही समाज में मौजूद विविध संस्कृति के लोगों के साहचर्य का आधार बन सके। नए परिदृश्य व उठते तनावों को देखते हुए एक ही (Homogeneous) तरह के लोगों वाले समाज के लिये, मौजूद विचार व व्यवस्थाएं अपर्याप्त सिद्ध हो रही है। बहुसंस्कृतिवाद ऐसी ही वैकल्पिक वैचारिक प्रणाली है।

बहुसंस्कृतिवाद का मूल विचार यह है कि समाज के भीतर तमाम सांस्कृतिक विविधताएँ (Diversities) यथा नस्लीय (Racial) प्रजातीय (ethnic) भाषायी व धार्मिक मौजूद है। ये विविध संस्कृतियाँ एक ही समाज में शान्ति व सद्भाव से रह सकते हैं। सांस्कृतिक अंतरों को मान्यता, वस्तुतः सामाजिक समजन (Social Cohasion) में सहायक है। उस पर खतरा नहीं है। इनकी अस्मिता (Identity) को स्वीकार करना चाहिए। इनकी विशिष्ट जरूरतों को नीति निर्माण में शामिल करना चाहिए और इन्हें समान अवसर तथा समाज, राज्य में आनुपातिक भागीदारी मिलनी चाहिए।

बहुसंस्कृतिवाद के 4 मुख्य तत्व है-

1. **बहुसंस्कृतिवाद पाश्चात्य-(यूरोसेन्ट्रिक):** विश्व दृष्टि को खारिज करता है। (उदाहरण एडवर्ड सईद Orientalise में) संस्कृति का राजनीतिक महत्व रेखांकित करता है। पाश्चात्य (उदार) सिद्धांतों को सार्वभौम नहीं माना जा सकता, विविध संस्कृति समूहों के अपने सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है।
2. **सांस्कृतिक अस्मिता (Cultural Identity):** बहुसंस्कृतिवाद इस प्रकार सार्वभौमवाद (Universalism) से विशेषवाद (Particulariser) की तरफ विस्थापन (Shift) है। तथापि शक्ति को सांस्कृतिक अधिकार व स्वायत्तताए, सांस्कृतिक समुदाय के सदस्य रूप में ही मिलेगी व्यक्तिगत नहीं (यहाँ बहुसंस्कृतिक समुदायवाद) Communitariarism के निकट आ जाता है।

***Corresponding Author:** डॉ. राजबहादुर कुशवाहा

3. **अल्पसंख्यक अधिकार Minority Right's:** बहुसंस्कृतिवाद का एक मुख्य तत्व है। बिल किमलिका इसका मुख्य प्रतिपादक कहा जा सकता है उसने तीन प्रकार के अल्पसंख्यक अधिकार बताये है। जो भाषायी, प्रजातीय, धार्मिक या अन्य अल्प संख्यकों को मिलने चाहिए स्वशासन का अधिकार, बहुतजातीय अधिकार (Polyethric Rights) और विशेष प्रतिनिधित्व अधिकार (Special Representation Rights)। स्वशासन का अधिकार, अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं के लिए हैं, जो किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष में संकेन्द्रित होते हैं। भारत में गोरखा परिषद को इसका उदाहरण माना जा सकता है। बहुजातीय अधिकार, प्रवासित (Migrated) जातीय (ethnic) व धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए हैं ताकि वे अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बरकरार रख सके। विशेष प्रतिनिधित्व अधिकार अल्पसंख्यकों या वंचित समूहों के लिए है जिनके लिए किमलिका उलट या सकारात्मक विभेद (Perverse or Positive Discrimination) प्रस्तावित करता है। किमलिका के अनुसार अल्पसंख्यक अधिकारों की जरूरत, सांस्कृतिक समूहों की अपनी विशिष्ट जरूरतों की वजह से होती है। उदाहरणार्थ, सिखों के हेलमेट पहनने की छूट अन्य समूहों के किसी काम की नहीं है।
4. **विविधता (Diversity):** बहुसंस्कृतिवाद के अनुसार विविधता व एकता परस्पर विरोधी नहीं है। वे एक दूसरे की पूरक हो सकती है और ऐसा होना चाहिए। लोगों की एक से ज्यादा पहचान एक से ज्यादा वफादारी (जैसे निवास वाले देश तथा मूलवंश वाले देश के प्रति) हो सकती है। विविधता वांछनीय है क्योंकि इसके अभाव में अपनी संस्कृति के प्रति लोग धुरवीकृत हो जायेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय तनाव व संघर्ष का कारण बन सकता है।

बहुसंस्कृतिवाद की प्रमुख धाराएँ

- उदारवादी धारा में समाज में विविधता को मान्यता दी जाती है, परन्तु सहिष्णुता और वैयक्तिक स्वायत्ता जैसी मूल उदारवादी धारणा के दायरे में। इसलिए नारी खतना, नारी पर्दा जैसी बातों की अनुमति इसमें नहीं है।
- बहुसंस्कृतिवाद की उदारवादी धारा, व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में अंतर करती है। नागरिक के रूप में व्यक्ति की भूमिका उदारवादी सिद्धांतों से नियमित होती है। परन्तु सार्वजनिक जीवन में जहाँ व्यक्ति अपने सांस्कृतिक समुदाय विशेष के सदस्य के रूप में भागीदारी करता है वहाँ उसे विशिष्ट सांस्कृतिक अधिकारों की अनुमति है।
- अंत में उदारवादी बहुसंस्कृतिवाद में लोकतंत्र की एकमात्र वैध राजनीतिक व्यवस्था माना गया है। अतः मूल विविध ढांचे से स्वायत्त होकर समुदायों को अपनी विधियों (जैसे शरीयत) की बात खारिज कर दी जाती है। फ्रांस में हाल में मुस्लिम महिलाओं को बुर्के पर रोक को सम्भवतः उदारवादी बहुसंस्कृतिवाद की प्रतिनिधि अभिव्यक्ति कहा जा सकता है।
- बहुलवादी बहुसंस्कृतिवाद जिसका प्रतिनिधि प्रवक्ता इसाइया बर्लिन है, के अनुसार एक नैतिक व्यवस्था की, दूसरी नैतिक व्यवस्था के ऊपर श्रेष्ठता सिद्ध नहीं की जा सकती। गैर उदारवादी व गैर पाश्चात्य मूल्य, विश्वास, पाश्चात्य उदारवादी मूल्यों-विश्वासों से हीन नहीं कहे जा सकते। इसलिये जियो और जीनो दो। बहुसंस्कृतिवाद का मूलमंत्र होना चाहिए।
- भीखू पारिख (Rethinking Multiculturalism 2005) ने बहुलवादी बहुसंस्कृतिवाद का एक वैकल्पिक आधार दिया है कि मानवों में शारीरिक मानसिक समानता के बावजूद अपना निजी सांस्कृतिक संदर्भ होता है। अतः उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक अभिवृत्तियों, व्यवहारों को मान्यता देनी चाहिए जब तक कि वे अन्य समुदायों की वैसी अभिवृत्तियों में बाधा न बने। बहुलवाद के ही अंतर्गत विशेषवादी बहुसंस्कृतिवाद हाशिये पर (Marginalised) और वंचित (disadvantaged) समुदायों व हितों पर केन्द्रित है।
- कास्मोपोलिटनवाद के लिये सांस्कृतिक विविधता व पहचान एक साधन है, अवसर है। एक वृहत विश्व संस्कृति के निर्माण के लिये ये एक संक्रमणकारी स्थितियाँ है। एक संस्कृति दूसरे से सीख सकती है, दूसरे को कुछ दे सकती है। अतः यह (Pick and Mix) में विश्वास करता है। जिसमें विविध सांस्कृतिक आदान प्रदान व मिश्रण प्रोत्साहित किया जाता है। एक शक्ति इटालियन खाना खा सकता है, फ्रेंच साहित्य पढ़ सकता है, योग कर सकता है। यहूदी धर्म का अनुयायी हो सकता है।

बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना

उदारवादी आलोचना-सांस्कृतिक विविधता पर अधिक जोर व मांग प्रायः नस्लीय (Racial) या राष्ट्रवादी मताग्रहों में परिणत हो सकती है। फलस्वरूप वैयक्तिक स्वाधीनता के उदारवादी मूल्यों के लिए खतरा बन सकती है। अर्मत्य सेन ने अपने 200C के अध्ययन में बहुसंस्कृतिवाद का एकान्तिक (Sotitaristic) सिद्धांत कहा है। जो मानवीय समाज को एकल सामाजिक समूह की सदस्यता तक सीमित कर देता है। इस तरह से मानवता को ही सीमित कर देता है। ऐसा सिमटाव अन्तः सांस्कृतिक समझ के बजाए अपनी-अपनी रूप मड्कता में और यहाँ तक कि हिंसा में परिणित हो सकता है।

अनुदारवादी आलोचना-एक सामान्य संस्कृति और समान मूल्य किसी स्थिर व सकल समाज की पूर्वशर्ते है। इसलिए अनुदारवादी अल्पसंख्यक समुदायों का राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलन (Assimilation) चाहते है। जो वास्तव में बहुसंख्या की ही संस्कृति होती है।

नारीवादी आलोचना-कुछ नारीवादियों ने बहुसंस्कृतिवाद को नारी मुक्ति के लिए पश्चगामी कदम माना है, क्योंकि जिन समाजों में नारी की स्थिति कमजोर है उन्हें स्वायत्तता के नाम पर बहुसंस्कृतिवाद यथास्थिति को छूट दे देता है। कुछ समतावादी भी इसकी इस आधार पर आलोचक है कि यह समानता के प्रश्न को पीछे ढकेल देता है उनके अनुसार एक समान राष्ट्रीय संस्कृति, सामाजिक न्याय के लिये जरूरी है।

21वीं सदी में बहुसंस्कृतिवाद भूमण्डलीकरण और अन्तर्देशीय गतिशीलता की मौजूदा प्रक्रिया में अधिकाधिक राष्ट्रों में विविध संस्कृति समूह रहने लगे हैं। 1970 में आस्ट्रेलियों ने स्वयं को बहुसांस्कृतिक समाज घोषित कर दिया और 1988 में कनाडा ने बहुसंस्कृतिवाद अधिनियम पारित किया है। दरअसल जिस तरह 19वीं, 20वीं सदी में राष्ट्रवाद मुख्य शक्ति बनता जा रहा है और एक तरह से राष्ट्रवाद का उत्तराधिकारी लगता है।

बहुसंस्कृतिवाद सार्वजनिक जीवन का ऐसा तथ्य बनता जा रहा है, जिसे उलट पाना संभव नहीं लगता। अब यह हम पर है कि हम इसे वरदान मान कर इसका उपभोग करे या अभिशाप समझ कर रोदन करें। असल में हमारी व आगामी पीढ़ी के लिये मुख्य वैचारिक मुद्दा ऐसे तरीको की तलाश होगी जिसमें भिन्न-भिन्न संस्कृतियों, मूल्यों व धार्मिक परम्पराओं वाले लोग बिना संघर्ष व हिंसा के साथ-साथ रह सके।

बहुसंस्कृतिवाद की उत्तरजीविता की परीक्षा अभी बाकी है। ऐसा भी संभव है कि जिन समस्याओं के समाधान के लिये यह सामने आया है, उससे भी बड़ी समस्याएं पैदा कर दे। लोग अपनी संस्कृति के प्रति घातक रूप से धुरवीकृत हो जाए जैसा-आस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों पर हमले में व्यक्त हुआ है अथवा सांस्कृतिक शुद्धता के नाम पर अन्य समूहों से विद्वेष रखे। बहुसंस्कृतिवाद से प्रेरित ऐसे समूह विभाजित करने वाली बातों पर ज्यादा ध्यान भी दे सकते हैं बजाए इन्हें जोड़ने वाली बातों के। अगर ऐसा हुआ तो बहुसंस्कृतिवाद से वापसी इक्कीसवीं सदी की नियति होगी। तब दो संभावनाएं है। या तो राष्ट्रवाद की ओर वापसी और ज्यादा सांस्कृतिक समजन (Cultgural

Cohesion) पर बल। जैसा यूगोस्लाविया से टूटे प्रान्तों में दिख रहा है। या फिर कास्मोपोलिटनवाद को दबा देगा। जिसमें लोग खुद को भूमण्डलीय नागरिक के रूप में देखने लगेगे। राष्ट्रवाद व संस्कृति के मतभेदों को दोयम (Secondary) मानेंगे। उनके पर्यावरण व अन्य वैश्विक चुनौतियों के प्रति साझे हित व अभिवृत्तियाँ होगी।

References

1. St. John de Crevecoeur J. Hector. Letters from an American Farmer: What is an America? The Avalon Project. Yale University, 1782.
2. De La Torre Miguel A. The Problem with the Melting Pot. Ethics Daily.com, 2009.
3. Hauptman Laurence M. Going off the Reservation: A Memoir. University of California Press.
4. Jonas Michael. The downside of diversity. The Boston Globe, 2007.
5. Fry Richard, Parker Kim. Benchmarks Show 'Post-Millenials" on Track to Be Most Diverse, Best-Educated Generation Yet. Pew Research Center, 2018.
6. Justice KS. Puttaswamy (Retd.) & Anr. Vs. Union of India & Ors, 2017. 10 SSC 1, AIR 2017 SC 4161.
7. Lok Sabha Debates. Lok Sabha Secretariat, New Delhi. 1992; XII:48-49.
8. Misra Ranagnath. Report of National Commission for Religious and Linguistic Minorities, Ministry of Minority Affairs, New Delhi, 2007.
9. Mohammad Ahmad Khan vs. Shah Bano Begum and Others, Criminal Appeal No.103, SC, 23, 1985. Available at http://indiankanoon.org/doc/823221/.
10. Mohammad Zubair V. Union of India AIR SC 2016, civil appeal no.8644. Muslim Women (Protection of rights on Divorce) Bill 1986, 2016.
11. Nehru Motilal. Nehru Report: An Anti-separatist Manifesto, Michiko and Panjathan, New Delhi, 1928.
12. Niyogi Committee Report on the Christian Missionary Activity, Government of Madhya Pradesh, Nagpur, 1956.
13. Reverend Stainislaus vs State of Madhya Pradesh AIR 1977 SC 908.
14. Sachar Rajinder. A Report on the Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of India, Government of India, New Delhi, 2006.
15. Sapru Tej Bahadur. Constitutional Proposals of the Sapru Committee, Padma Publications Ltd., Bombay, 1945.
16. Sardar Syedna Taher Saifuddin Saheb vs The State of Bombay 1962 AIR 853.
17. St. Stephen's College vs University of Delhi AIR 1630, SSC (1) 588, 1992. https://www.lawnotes.in/St_Stephens_College_v_University_of_Delhi.